

बिहार सरकार



वित्त विभाग

वित्तीय वर्ष 2013-2014 के बजट प्राक्कलन के संदर्भ में
द्वितीय तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय का रुझान

(बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम-2006 की धारा-11 के आलोक में)

नीतीश कुमार

मुख्य (वित्त) मंत्री

दिसंबर, 2013

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आप अवगत हैं कि हमारी सरकार ने वित्तीय संव्यवहार में पारदर्शिता एवं अनुशासन लाने के दृष्टिकोण से 18 फरवरी, 2006 के प्रभाव से ही राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम लागू किया था। उक्त अधिनियम की धारा-11 में यह प्रावधान है कि बजट प्राक्कलन के संदर्भ में प्रत्येक तिमाही के बाद आय एवं व्यय के रूझानों का पुनर्विलोकन किया जायेगा और इसके परिणामों को विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मैं वित्तीय वर्ष 2013-14 की द्वितीय तिमाही के आय एवं व्यय के रूझानों को प्रस्तुत कर रहा हूँ।

द्वितीय तिमाही के आय एवं व्यय का रूझान सितम्बर, 2013 सिविल लेखा एवं CTMIS (विस्तृत कोषागार प्रबंधन सूचना प्रणाली) से प्राप्त विवरणी के आधार पर संकलित किया गया है।

द्वितीय तिमाही तक आय एवं व्यय की तुलनात्मक संक्षिप्त स्थिति निम्न प्रकार है:-

आय-व्यय का ब्यौरा

(राशि करोड़ रुपये में)

2013-14

| क्र. सं. | मर्दे | बजट अनुमान | बजट अनुमान (प्रथम अनुपूरक सहित) | द्वितीय तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय | द्वितीय तिमाही तक कुल प्राप्ति एवं व्यय | द्वितीय तिमाही तक बजट अनुमान की तुलना में प्राप्ति एवं व्यय का प्रतिशत (कॉलम 3 का) |
|----------|---|------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | कुल गैर-ऋण आय | 80079.75 | 80079.75 | 17943.25 | 31633.31 | 39.50 |
| 2 | कुल गैर-ऋण व्यय | 88849.20 | 99956.88 | 21217.57 | 32468.01 | 36.54 |
| 3 | राजकोषीय घाटा (2-1) | 8769.45 | 19877.13 | 3274.32 | 834.70 | 9.52 |
| 4 | ऋण भुगतान | 3238.73 | 3238.77 | 879.25 | 1799.52 | 55.56 |
| 5 | ऋण उगाही | 11819.41 | 11819.41 | 346.38 | 612.62 | 5.18 |
| 6 | गैर ऋण आय के मुख्य अवयव:- | 80079.75 | 80079.75 | 17943.25 | 31633.31 | 39.50 |
| | (क) राज्य सरकार की आय | 24378.78 | 24378.78 | 4636.36 | 8341.80 | 34.22 |
| | (1) कर राजस्व | 20962.70 | 20962.70 | 4450.99 | 7762.46 | 37.03 |
| | (2) गैर कर राजस्व | 3416.08 | 3416.08 | 185.37 | 579.34 | 16.96 |
| | (ख) केन्द्र सरकार से प्राप्तियाँ | 55687.69 | 55687.69 | 13303.00 | 23284.23 | 41.81 |
| | (1) केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा | 37980.98 | 37980.98 | 8138.01 | 16276.01 | 42.85 |
| | (2) केन्द्र सरकार से सहाय्य अनुदान | 17706.71 | 17706.71 | 5164.99 | 7008.22 | 39.58 |
| | (ग) राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों की वसूली | 13.28 | 13.28 | 3.89 | 7.28 | 54.82 |
| 7 | गैर ऋण व्यय के मुख्य अवयव:- | 88849.20 | 99956.88 | 21217.57 | 32468.01 | 36.54 |
| | (क) गैर योजना व्यय | 49842.90 | 50021.20 | 11277.48 | 18926.31 | 37.97 |
| | (1) पेंशन | 11274.04 | 11274.04 | 2500.22 | 4435.49 | 39.34 |
| | (2) सूद | 5887.97 | 5888.00 | 1141.95 | 2205.80 | 37.46 |
| | (3) अन्य | 32680.89 | 32859.16 | 7635.31 | 12285.02 | 37.59 |
| | (ख) योजना व्यय | 39006.30 | 49935.68 | 9940.09 | 13541.70 | 34.72 |
| | (1) राज्य योजना | 34000.00 | 44881.17 | 9005.65 | 12242.94 | 36.01 |
| | (2) केन्द्र प्रायोजित योजना | 4715.43 | 4755.78 | 928.96 | 1237.66 | 26.25 |
| | (3) केन्द्रीय योजनागत योजना | 290.87 | 298.73 | 5.48 | 61.10 | 21.01 |

नोट :- विभागवार योजना एवं गैर योजना की व्यय विवरणी अनुलग्नक 'क' एवं 'ख' पर और केन्द्रीय योजनागत योजना एवं केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना की व्यय विवरणी अनुलग्नक 'घ' एवं 'ङ' पर है ।

योजना मद में व्यय

उपरोक्त आकलन से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 की द्वितीय तिमाही तक राज्य योजना मद में 12242.94 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है, जबकि पिछले वर्ष द्वितीय तिमाही तक 7947.33 करोड़ रुपये का व्यय हुआ था। यह व्यय बजट उपबंध की तुलना में 36.01 प्रतिशत है।

गैर योजना मद में व्यय

वित्तीय वर्ष 2013-14 की द्वितीय तिमाही तक गैर योजना मद में लोक ऋण भुगतान को छोड़कर कुल व्यय 18926.31 करोड़ रुपये है, जो बजट उपबंध का 37.97 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2012-13 की द्वितीय तिमाही तक 15965.10 करोड़ रुपये का व्यय हुआ था। इस प्रकार इस वर्ष गैर-योजना गैर-ऋण मद में पिछले वर्ष की तुलना में 18.55 प्रतिशत अधिक व्यय हुआ है। इस आलोक में गैर योजना व्यय का रुझान बजट उपबंध के अनुरूप है।

पेंशन/सूद मद में व्यय-

पेंशन मद में 4435.49 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है जो बजट उपबंध का 39.34 प्रतिशत है। सूद मद में 2205.80 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है, जो बजट उपबंध का 37.46 प्रतिशत है। अन्य मदों में व्यय 12285.02 करोड़ रुपये का हुआ है, जो मूल बजट में प्रावधानित राशि का 37.59 प्रतिशत है।

राज्य की अपनी स्रोतों से आय

वर्ष 2013-14 में द्वितीय तिमाही तक राज्य की अपने कर राजस्व की आय 7762.46 करोड़ रुपये एवं गैर कर राजस्व से आय 579.34 करोड़ रुपये है, जो बजट अनुमानों का क्रमशः 37.03 प्रतिशत एवं 16.96 प्रतिशत है। पिछले वर्ष इस अवधि में कर-राजस्व से आय 6339.81 करोड़ रुपये एवं गैर कर राजस्व से आय 355.35 करोड़ रुपये थी। मुख्य विभागवार आय की तुलनात्मक विवरणी अनुलग्नक ग पर है।

वाणिज्य-कर विभाग से आय

वाणिज्य-कर विभाग द्वारा द्वितीय तिमाही तक 4741.18 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहण किया गया है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 4132.34 करोड़ रुपये का संग्रहण किया गया था। इस प्रकार इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में 14.73 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस वर्ष आय कुल बजट अनुमान 13643.00 करोड़ रुपये का 34.75 प्रतिशत है।

निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

(क) निबंधन शुल्क मद में द्वितीय तिमाही तक 1318.75 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहण किया गया है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 962.16 करोड़ रुपये का संग्रहण किया गया था। इस प्रकार इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में 37.06 प्रतिशत की वृद्धि है। यह आय कुल बजट अनुमान 2628.00 करोड़ रुपये का 50.18 प्रतिशत है।

(ख) उत्पाद शुल्क से आय

राज्य उत्पाद शुल्क मद में द्वितीय तिमाही तक 1275.45 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहण किया गया है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 878.84 करोड़ रुपये का संग्रहण किया गया था। इस प्रकार इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में 45.13 प्रतिशत की वृद्धि है। यह आय कुल बजट अनुमान 3680.00 करोड़ रुपये का 34.66 प्रतिशत है।

परिवहन विभाग से आय

परिवहन विभाग द्वारा द्वितीय तिमाही तक 384.79 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहण किया गया है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 304.12 करोड़ रुपये का संग्रहण किया गया था। इस प्रकार इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में 26.53 प्रतिशत की वृद्धि है। यह आय कुल बजट अनुमान 800.00 करोड़ रुपये का 48.10 प्रतिशत है।

केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा एवं केन्द्र से अनुदान

राज्य को केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से के रूप में आय प्राप्त होती है। इस मद में द्वितीय तिमाही तक 16276.01 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है। यह बजट अनुमान 37980.98 करोड़ रुपये का 42.85 प्रतिशत है। पिछले वर्ष इसी अवधि में 14154.30 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार इस वर्ष 14.99 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायक अनुदान प्राप्त होता है। इस मद में द्वितीय तिमाही तक 7008.22 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है, जो मूल बजट अनुमान 17706.71 करोड़ रुपये का 39.58 प्रतिशत है। पिछले वर्ष इस अवधि में 4610.05 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई थी। इस मद में इस अवधि के दौरान गत वर्ष की तुलना में 52.02 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

ऋण की उगाही एवं ऋण/सूद का भुगतान

द्वितीय तिमाही तक राज्य सरकार द्वारा 612.62 करोड़ रुपये के ऋण लिए गए हैं, जिसमें केन्द्र सरकार से 133.25 करोड़ रुपये की राशि बाह्य संपोषित परियोजना के अंतर्गत ब्लॉक ऋण के रूप में, 98.32 करोड़ रुपये राष्ट्रीय लघु बचतों के विरुद्ध जारी की गयी विशेष प्रतिभूतियों के मद में एवं नाबार्ड से 365.31 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। बजट अनुमान के अनुसार पूरे वित्तीय वर्ष में कुल 11819.41 करोड़ रुपये के ऋण की सीमा निर्धारित है। पिछले वर्ष इस अवधि तक 1334.46 करोड़ रुपये के ऋण की उगाही की गयी थी।

राज्य सरकार द्वारा द्वितीय तिमाही तक 1799.52 करोड़ रुपये का ऋण चुकता किया गया है। यह बजट अनुमान 3238.73 करोड़ रुपये का 55.56 प्रतिशत है। पिछले वर्ष इस अवधि तक 1121.57 करोड़ रुपये का ऋण चुकता किया गया था। इसके अलावे द्वितीय तिमाही तक 2205.80 करोड़ रुपये का सूद मद में भुगतान किया गया है। यह बजट अनुमान 5887.97 करोड़ रुपये का 37.46 प्रतिशत है। पिछले वर्ष इस अवधि तक 1934.93 करोड़ रुपये का सूद मद में भुगतान किया गया था।

उपसंहार :

द्वितीय तिमाही तक गैर ऋण आय के रूप में 31633.31 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई और गैर ऋण व्यय 32468.01 करोड़ रुपये का हुआ। द्वितीय तिमाही तक 834.70 करोड़ रुपये राजकोषीय घाटा हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा 8769.45 करोड़ रुपये संभावित है। स्पष्ट है कि राज्य की वित्तीय स्थिति नियंत्रण में है।

अंत में, मैं माननीय सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि सरकार कर प्रशासन तथा व्यय प्रबंधन के सुदृढीकरण के लिए लगातार प्रयास कर रही है और सरकार अपने वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत है।

----- :: -----

राज्य योजना व्यय की विभागवार विवरणी

(राशि लाख रुपये में)

| मांग | विभाग का नाम | 2013-14 | | | | द्वितीय तिमाही तक का कुल व्यय | द्वितीय तिमाही तक बजट उपबंध का प्रतिशत व्यय (कॉलम 3 का) | 2012-13 में द्वितीय तिमाही तक कुल व्यय | द्वितीय तिमाही तक पिछले वर्ष की तुलना में कुल व्यय परिवर्तन (%) |
|------|---|-----------|--------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|---|--|---|
| | | बजट उपबंध | बजट उपबंध (प्रथम अनुपूरक सहित) | संशोधित उद्ध्यय | द्वितीय तिमाही का व्यय | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | कृषि विभाग | 217674.72 | 245904.72 | 217724.72 | 33131.00 | 55358.00 | 25.43 | 69309.50 | -20.13 |
| 02 | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग | 68379.34 | 68379.34 | 70879.34 | 2394.00 | 2407.00 | 3.52 | 5741.33 | -58.08 |
| 03 | भवन निर्माण विभाग | 81328.12 | 114036.83 | 17878.06 | 9845.00 | 12370.00 | 15.21 | 1367.00 | 804.90 |
| 04 | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग | 3938.08 | 4238.09 | 4323.08 | 8.00 | 8.00 | 0.20 | 220.98 | -96.38 |
| 08 | कला, संस्कृति एवं युवा विभाग | 2966.90 | 4616.90 | 18816.90 | 749.00 | 772.00 | 26.02 | 2159.21 | -64.25 |
| 09 | सहकारिता विभाग | 40286.82 | 40327.11 | 40286.82 | 6292.00 | 11349.00 | 28.17 | 6406.00 | 77.16 |
| 10 | उर्जा विभाग | 179067.63 | 384067.63 | 276091.63 | 30523.00 | 34519.00 | 19.28 | 27020.20 | 27.75 |
| 11 | पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग | 79078.53 | 109078.53 | 137678.53 | 36324.00 | 36324.00 | 45.93 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | वित्त विभाग | 20491.15 | 20491.15 | 24388.69 | 5230.00 | 5230.00 | 25.52 | 335.42 | 1459.24 |
| 16 | पंचायती राज विभाग | 97734.00 | 141290.00 | 193041.60 | 16901.00 | 19172.00 | 19.62 | 21434.00 | -10.55 |
| 17 | वाणिज्य-कर विभाग | 550.00 | 550.00 | 592.85 | 25.00 | 25.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | 128308.95 | 128308.95 | 170235.95 | 755.00 | 30753.00 | 23.97 | 100513.15 | -69.40 |
| 19 | पर्यावरण एवं वन विभाग | 9586.75 | 16586.75 | 19392.75 | 3891.00 | 6834.00 | 71.29 | 1325.57 | 415.55 |
| 20 | स्वास्थ्य विभाग | 62923.41 | 92923.41 | 92923.41 | 17316.00 | 17311.00 | 27.51 | 12274.76 | 41.03 |
| 21 | शिक्षा विभाग | 519770.63 | 620270.63 | 639294.63 | 125572.00 | 182792.00 | 35.17 | 162607.04 | 12.41 |
| 22 | गृह विभाग | 47765.58 | 47765.58 | 48265.58 | 21963.00 | 22891.00 | 47.92 | 6803.09 | 236.48 |
| 23 | उद्योग विभाग | 45292.27 | 120292.27 | 120292.27 | 74967.00 | 74968.00 | 165.52 | 9850.29 | 661.07 |
| 24 | सूचना एवं जनसंपर्क विभाग | 854.79 | 854.79 | 993.97 | 198.00 | 239.00 | 27.96 | 127.73 | 87.11 |
| 25 | सूचना प्रावैधिकी विभाग | 18941.08 | 19903.08 | 19903.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.64 | -100.00 |
| 26 | श्रम संसाधन विभाग | 9739.13 | 9739.13 | 13020.03 | 582.00 | 741.00 | 7.61 | 329.08 | 125.17 |
| 27 | विधि विभाग | 873.54 | 873.54 | 9601.36 | 84.00 | 171.00 | 19.58 | 964.30 | -82.27 |
| 29 | खान एवं भूतत्व विभाग | 95.87 | 95.87 | 95.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | 9890.00 | 9890.00 | 14859.46 | 1761.00 | 3208.00 | 32.44 | 6044.07 | -46.92 |
| 33 | सामान्य प्रशासन विभाग | 1830.00 | 1830.00 | 6728.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | योजना एवं विकास विभाग | 168165.95 | 260065.97 | 229165.96 | 11116.00 | 14556.00 | 8.66 | 7151.16 | 103.55 |
| 36 | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग | 53120.48 | 60120.48 | 74559.48 | 11838.00 | 15169.00 | 28.56 | 7681.45 | 97.48 |
| 37 | ग्रामीण कार्य विभाग | 173691.16 | 223388.16 | 183388.16 | 52651.00 | 81225.00 | 46.76 | 41846.36 | 94.10 |
| 38 | निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग | 0.00 | 99.00 | 453.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | आपदा प्रबंधन विभाग | 4947.27 | 4947.27 | 4947.27 | 198.00 | 306.00 | 6.19 | 827.75 | -63.03 |
| 40 | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | 10926.65 | 30926.65 | 43076.52 | 1178.00 | 1724.00 | 15.78 | 2359.15 | -26.92 |
| 41 | पथ निर्माण विभाग | 423297.00 | 493297.00 | 487740.00 | 159851.00 | 258609.00 | 61.09 | 111755.05 | 131.41 |

| मांग | विभाग का नाम | 2013-14 | | | | द्वितीय तिमाही तक का कुल व्यय | द्वितीय तिमाही तक बजट उपबंध का प्रतिशत व्यय (कॉलम 3 का) | 2012-13 में द्वितीय तिमाही तक कुल व्यय | द्वितीय तिमाही तक पिछले वर्ष की तुलना में कुल व्यय परिवर्तन (%) |
|------|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|---|--|---|
| | | बजट उपबंध | बजट उपबंध (प्रथम अनुपूरक सहित) | संशोधित उद्ध्यय | द्वितीय तिमाही का व्यय | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 42 | ग्रामीण विकास विभाग | 148525.94 | 148525.94 | 160975.94 | 62284.00 | 62378.00 | 42.00 | 75957.44 | -17.88 |
| 43 | विज्ञान एवं प्रविधिकी विभाग | 7429.67 | 7429.67 | 12631.53 | 29.00 | 45.00 | 0.61 | 946.30 | -95.24 |
| 44 | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग | 81226.23 | 101226.23 | 105796.23 | 43592.00 | 45076.00 | 55.49 | 514.97 | 8653.13 |
| 45 | गन्ना उद्योग विभाग | 9490.88 | 9990.88 | 9990.88 | 1457.00 | 872.00 | 9.19 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | पर्यटन विभाग | 9593.13 | 14553.13 | 14553.13 | 2717.00 | 3662.00 | 38.17 | 2827.89 | 29.50 |
| 47 | परिवहन विभाग | 1460.26 | 1460.26 | 1460.26 | 0.00 | 369.00 | 25.27 | 376.66 | -2.03 |
| 48 | नगर विकास एवं आवास विभाग | 157053.97 | 187053.97 | 187053.97 | 18244.00 | 30534.00 | 19.44 | 26721.81 | 14.27 |
| 49 | जल संसाधन विभाग | 241535.27 | 332799.27 | 219950.27 | 38365.00 | 62446.00 | 25.85 | 61012.02 | 2.35 |
| 50 | लघु जल संसाधन विभाग | 26270.24 | 84520.24 | 76524.24 | 13460.00 | 13460.00 | 51.24 | 3891.10 | 245.92 |
| 51 | समाज कल्याण विभाग | 235898.61 | 325398.61 | 325198.61 | 95074.00 | 116421.00 | 49.35 | 15731.86 | 640.03 |
| | योग- | 3400000.00 | 4488117.03 | 4294775.00 | 900565.00 | 1224294.00 | 36.01 | 794733.33 | 54.05 |

स्रोत :- सी0टी0एम0आई0एस0 साफ्टवेयर के अनुसार ।

नोट :- विभिन्न विभागों के उद्ध्यय की भवन निर्माण से संबंधित राशि मांग संख्या-03 में प्रावधानित है ।

गैर योजना व्यय की विभागवार विवरणी

(राशि लाख रुपये में)

| मांग/ विनियोग सं० | विभाग का नाम | 2013-14 | | | द्वितीय तिमाही तक का व्यय | द्वितीय तिमाही तक का प्रतिशत व्यय(कॉलम-3 का) | 2012-13 में द्वितीय तिमाही तक कुल व्यय | पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन (%) |
|-------------------------|--|------------|---|---------------------------|---------------------------------|--|--|---|
| | | बजट उपबंध | बजट उपबंध (प्रथम अनुपूरक सहित) | द्वितीय तिमाही का व्यय | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | कृषि विभाग | 39664.39 | 39666.32 | 12782.00 | 15848.00 | 39.96 | 14027.00 | 12.98 |
| 02 | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग | 24073.79 | 24073.79 | 6119.00 | 9229.00 | 38.34 | 8678.00 | 6.35 |
| 03 | भवन निर्माण विभाग | 50998.17 | 50998.18 | 6464.00 | 10119.00 | 19.84 | 9432.00 | 7.28 |
| 04 | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग | 11534.65 | 11655.53 | 2948.00 | 5100.00 | 44.21 | 4103.00 | 24.30 |
| 05 | राज्यपाल सचिवालय | 787.35 | 845.93 | 117.52 | 322.14 | 40.91 | 340.54 | -5.40 |
| 06 | निर्वाचन विभाग | 7478.93 | 7478.93 | 544.00 | 1098.00 | 14.68 | 618.00 | 77.67 |
| 07 | निगरानी विभाग | 2791.82 | 2791.82 | 540.00 | 1278.00 | 45.78 | 1218.00 | 4.93 |
| 08 | कला, संस्कृति एवं युवा विभाग | 4698.90 | 4768.90 | 983.00 | 1701.00 | 36.20 | 1480.00 | 14.93 |
| 09 | सहकारिता विभाग | 6489.92 | 6497.17 | 1604.00 | 3024.00 | 46.60 | 2846.00 | 6.25 |
| 10 | उर्जा विभाग | 255971.02 | 264661.41 | 89106.00 | 143830.00 | 56.19 | 182349.00 | -21.12 |
| 11 | पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग | 960.65 | 960.65 | 195.00 | 285.00 | 29.67 | 238.00 | 19.75 |
| 12 | वित्त विभाग | 49502.90 | 49502.90 | 3153.00 | 5853.00 | 11.82 | 5631.00 | 3.94 |
| 13 | सूद भुगतान | 588797.08 | 588800.46 | 114195.00 | 220580.00 | 37.46 | 193493.00 | 14.00 |
| 15 | पेंशन | 1127404.23 | 1127404.23 | 250022.00 | 443549.00 | 39.34 | 380178.70 | 16.67 |
| 16 | पंचायती राज विभाग | 233970.33 | 234073.99 | 45661.00 | 72738.00 | 31.09 | 53385.00 | 36.25 |
| 17 | वाणिज्य-कर विभाग | 12177.52 | 12177.52 | 1539.00 | 3011.00 | 24.73 | 2838.00 | 6.10 |
| 18 | खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | 14337.86 | 14343.86 | 1632.00 | 2782.00 | 19.40 | 4758.00 | -41.53 |
| 19 | पर्यावरण एवं वन विभाग | 9075.75 | 9150.20 | 2551.00 | 4310.00 | 47.49 | 3552.00 | 21.34 |
| 20 | स्वास्थ्य विभाग | 231761.66 | 232271.75 | 45080.00 | 78445.00 | 33.85 | 72098.00 | 8.80 |
| 21 | शिक्षा विभाग | 1129222.63 | 1129927.74 | 302588.00 | 437435.00 | 38.74 | 292499.00 | 49.55 |
| 22 | गृह विभाग | 481801.52 | 481953.92 | 100776.00 | 186828.00 | 38.78 | 172031.00 | 8.60 |
| 23 | उद्योग विभाग | 7233.62 | 7233.62 | 1289.00 | 2418.00 | 33.43 | 2168.00 | 11.53 |
| 24 | सूचना एवं जनसंपर्क विभाग | 7520.42 | 7609.79 | 2777.00 | 3201.00 | 42.56 | 2383.00 | 34.33 |
| 25 | सूचना प्रावैधिकी विभाग | 2529.81 | 2529.81 | 31.00 | 64.00 | 2.53 | 78.00 | -17.95 |
| 26 | श्रम संसाधन विभाग | 11123.37 | 11795.89 | 2729.00 | 4917.00 | 44.20 | 4493.00 | 9.44 |
| 27 | विधि विभाग | 61104.80 | 61152.74 | 12008.00 | 23419.00 | 38.33 | 20140.00 | 16.28 |

| मांग/ विनियोग सं० | विभाग का नाम | 2013-14 | | | द्वितीय तिमाही तक का व्यय | द्वितीय तिमाही तक का प्रतिशत व्यय(कॉलम-3 का) | 2012-13 में द्वितीय तिमाही तक कुल व्यय | पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन (%) |
|-------------------------|--|-------------------|---|---------------------------|---------------------------------|--|--|---|
| | | बजट उपबंध | बजट उपबंध (प्रथम अनुपूरक सहित) | द्वितीय तिमाही का व्यय | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | उच्च न्यायालय | 11624.65 | 11624.65 | 1952.00 | 4307.00 | 37.05 | 4262.00 | 1.06 |
| 29 | खान एवं भूतत्व विभाग | 1735.86 | 1735.86 | 349.00 | 621.00 | 35.77 | 598.00 | 3.85 |
| 30 | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | 500.67 | 598.01 | 161.00 | 298.00 | 59.52 | 147.00 | 102.72 |
| 31 | संसदीय कार्य विभाग | 141.67 | 141.67 | 29.00 | 66.00 | 46.59 | 73.00 | -9.59 |
| 32 | विधान मंडल | 11023.43 | 11046.43 | 2781.18 | 4980.99 | 45.19 | 4911.23 | 1.42 |
| 33 | सामान्य प्रशासन विभाग | 39757.89 | 39817.62 | 6572.00 | 12191.00 | 30.66 | 11256.00 | 8.31 |
| 34 | बिहार लोक सेवा आयोग | 1383.56 | 1518.56 | 465.00 | 842.00 | 60.86 | 791.00 | 6.45 |
| 35 | योजना एवं विकास विभाग | 12686.71 | 12686.71 | 2272.00 | 4324.00 | 34.08 | 3782.00 | 14.33 |
| 36 | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग | 40026.57 | 40026.57 | 7946.00 | 13177.00 | 32.92 | 11341.00 | 16.19 |
| 37 | ग्रामीण कार्य विभाग | 73591.88 | 73603.88 | 3535.00 | 15201.00 | 20.66 | 10096.00 | 50.56 |
| 38 | निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग | 14795.25 | 14795.25 | 3075.00 | 4844.00 | 32.74 | 4105.00 | 18.00 |
| 39 | आपदा प्रबंधन विभाग | 42059.63 | 42059.64 | 22612.00 | 22495.00 | 53.48 | -296.00 | -7699.66 |
| 40 | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | 51793.78 | 53431.84 | 10414.00 | 20038.00 | 38.69 | 17409.00 | 15.10 |
| 41 | पथ निर्माण विभाग | 75066.49 | 75066.49 | 15585.00 | 37623.00 | 50.12 | 31689.00 | 18.73 |
| 42 | ग्रामीण विकास विभाग | 30466.48 | 30466.48 | 5704.00 | 10389.00 | 34.10 | 9335.00 | 11.29 |
| 43 | विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग | 5601.81 | 5601.81 | 1570.00 | 2552.00 | 45.56 | 2294.00 | 11.25 |
| 44 | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग | 15041.16 | 15262.16 | 2899.00 | 4215.00 | 28.02 | 3335.00 | 26.39 |
| 45 | गन्ना उद्योग विभाग | 1627.17 | 4091.10 | 382.00 | 3216.00 | 197.64 | 756.00 | 325.40 |
| 46 | पर्यटन विभाग | 1176.75 | 1265.52 | 228.00 | 366.00 | 31.10 | 395.00 | -7.34 |
| 47 | परिवहन विभाग | 3606.22 | 3606.22 | 816.00 | 1528.00 | 42.37 | 1230.00 | 24.23 |
| 48 | नगर विकास एवं आवास विभाग | 54536.91 | 56310.47 | 6033.00 | 7183.00 | 13.17 | 5960.00 | 20.52 |
| 49 | जल संसाधन विभाग | 72585.37 | 72585.46 | 15690.00 | 26860.00 | 37.00 | 26523.00 | 1.27 |
| 50 | लघु जल संसाधन विभाग | 45701.52 | 45701.52 | 8269.00 | 12163.00 | 26.61 | 10018.00 | 21.41 |
| 51 | समाज कल्याण विभाग | 4745.53 | 4745.53 | 975.00 | 1767.00 | 37.24 | 1445.00 | 22.28 |
| | योग- | 4984290.05 | 5002116.50 | 1127747.70 | 1892631.13 | 37.97 | 1596510.47 | 18.55 |
| 14 | ऋण अदायगियाँ | 323872.50 | 323876.25 | 87925.00 | 179952.00 | 55.56 | 112156.78 | 60.45 |
| | महायोग | 5308162.55 | 5325992.75 | 1215672.70 | 2072583.13 | 39.05 | 1708667.25 | 21.30 |

स्रोत - सी०टी०एम०आई०एस० साफ्टवेयर एवं ए०जी० सिविल लेखा माह सितम्बर 2013 के अनुसार ।

नोट:- मांगों/विनियोग में बजट उपबंध मांग/विनियोग के अन्तर्गत वसूलियों को घटाने के उपरान्त जो राशि आती है उसे दिखलाया गया है।

राजस्व वसूली की विभागवार विवरणी

(राशि करोड़ रुपये में)

| क्र.सं. | विभाग | 2013-14 | | | द्वितीय तिमाही तक प्रतिशत प्राप्ति (कॉलम 3 का) | 2012-13 में द्वितीय तिमाही तक कुल प्राप्ति | पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन (%) |
|---------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| | | बजट प्रावधान | द्वितीय तिमाही में हुई प्राप्ति | द्वितीय तिमाही तक कुल प्राप्ति | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | वाणिज्य-कर विभाग | 13643.00 | 2970.35 | 4741.18 | 34.75 | 4132.34 | 14.73 |
| 2 | निबंधन विभाग | 2628.00 | 632.78 | 1318.75 | 50.18 | 962.16 | 37.06 |
| 3 | उत्पाद एवं मद्य निषेध | 3680.00 | 626.14 | 1275.45 | 34.66 | 878.84 | 45.13 |
| 4 | परिवहन विभाग | 800.00 | 198.29 | 384.79 | 48.10 | 304.12 | 26.53 |
| 5 | राजस्व एवं भू0सु0 विभाग | 205.00 | 23.43 | 42.29 | 20.63 | 62.35 | -32.17 |
| 6 | अन्य | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | योग | 20962.70 | 4450.99 | 7762.46 | 37.03 | 6339.81 | 22.44 |

गैर कर राजस्व

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 7 | खान एवं भू-तत्व विभाग | 641.00 | 68.69 | 249.54 | 38.93 | 132.25 | 88.69 |
| 8 | जल संसाधन विभाग | 30.00 | 2.65 | 6.08 | 20.27 | 6.49 | -6.32 |
| 9 | कृषि विभाग | 13.09 | 4.68 | 5.91 | 45.15 | 3.20 | 84.69 |
| 10 | पर्यावरण एवं वन विभाग | 12.17 | 3.32 | 5.65 | 46.43 | 6.12 | -7.68 |
| 11 | अन्य विभाग | 2719.82 | 106.03 | 312.16 | 11.48 | 207.29 | 50.59 |
| | योग | 3416.08 | 185.37 | 579.34 | 16.96 | 355.35 | 63.03 |
| | महायोग (कर एवं गैर कर राजस्व) | 24378.78 | 4636.36 | 8341.80 | 34.22 | 6695.16 | 24.59 |
| 12 | लघु बचत से प्राप्त | 850.00 | 0.00 | 98.32 | 11.57 | 44.59 | 120.50 |

स्रोत सितम्बर 2013 सिविल लेखा एवं सी0टी0एम0आई0एस0 सॉफ्टवेयर के अनुसार ।

नोट: अन्य विभाग में प्रावधानित राशि मुख्य शीर्ष 0043 के लघुशीर्ष 101 एवं 103 मुख्यशीर्ष 0045 के लघुशीर्ष 114 में प्रावधानित है । लघुशीर्ष में प्राप्ति की सूचना अप्राप्त है ।

‘अनुलग्नक-घ’
(राशि लाख रुपये में)

केन्द्रीय योजनागत योजना व्यय की विभागवार विवरणी

| मांग सं० | विभाग का नाम | बजट प्रावधान | 2013-14 | | | | |
|------------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | बजट प्रावधान (प्रथम अनुपूरक सहित) | द्वितीय तिमाही तक का व्यय | बजट प्रावधान का प्रतिशत (कॉलम-3 का) | 2012-13 में द्वितीय तिमाही तक का व्यय | पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | कृषि विभाग | 1200.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | योजना एवं विकास विभाग | 5164.13 | 5164.13 | 225.00 | 4.36 | 78.00 | 188.46 |
| 40 | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | 58.00 | 58.00 | 13.00 | 22.41 | 12.00 | 8.33 |
| 43 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | 4840.00 | 4840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | जल संसाधन विभाग | 17800.00 | 17800.00 | 5872.00 | 32.99 | 2201.00 | 166.79 |
| 51 | समाज कल्याण विभाग | 0 | 586.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कुल योग - | | 29087.13 | 29873.13 | 6110.00 | 21.01 | 2291.00 | 166.70 |

नोट - सी०टी०एम०आई०एस० साफ्टवेयर के अनुसार ।

केन्द्र प्रायोजित योजना व्यय की विभागवार विवरणी

| मांग सं० | विभाग का नाम | 2013-14 | | | | | |
|------------------|--|------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|--|---|
| | | बजट प्रावधान | बजट उपबंध (प्रथम अनुपूरक सहित) | द्वितीय तिमाही तक का व्यय | बजट प्रावधान का प्रतिशत (कॉलम-3) | 2012-13 में द्वितीय तिमाही तक का व्यय | पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | कृषि विभाग | 6480.00 | 6480.00 | 57.00 | 0.88 | 55.00 | 3.64 |
| 2 | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग | 4883.40 | 4883.40 | 22.00 | 0.45 | 18.00 | 22.22 |
| 3 | भवन निर्माण विभाग | 18175.00 | 19699.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | कला, संस्कृति एवं युवा विभाग | 204.00 | 204.00 | 3.00 | 1.47 | 2.00 | 50.00 |
| 9 | सहकारिता विभाग | 5465.95 | 5465.95 | 694.00 | 12.70 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग | 6590.00 | 6590.00 | 0.00 | 0.00 | 219.00 | -100.00 |
| 19 | पर्यावरण एवं वन विभाग | 670.00 | 670.00 | 96.00 | 14.33 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | स्वास्थ्य विभाग | 40999.32 | 40999.32 | 13744.00 | 33.52 | 12041.00 | 14.14 |
| 21 | शिक्षा विभाग | 179084.28 | 179084.28 | 66092.00 | 36.91 | 49980.00 | 32.24 |
| 22 | गृह विभाग | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | उद्योग विभाग | 335.50 | 335.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | श्रम संसाधन विभाग | 333.00 | 333.00 | 19.00 | 5.71 | 43.00 | -55.81 |
| 30 | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | 23000.00 | 23000.00 | 728.00 | 3.17 | 2177.00 | -66.56 |
| 35 | योजना एवं विकास विभाग | 4569.89 | 4569.92 | 1.00 | 0.02 | 6.00 | -83.33 |
| 36 | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग | 800.00 | 800.00 | 168.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | आपदा प्रबंधन | 0.00 | 103.82 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | -100.00 |
| 40 | राजस्व एवं भू0सु0 विभाग | 366.00 | 1933.47 | 25.00 | 6.83 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित | 5500.00 | 5500.00 | -131.00 | -2.38 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | पर्यटन विभाग | 0.00 | 239.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | समाज कल्याण विभाग | 173636.73 | 173636.73 | 42248.00 | 24.33 | 25117.00 | 68.20 |
| कुल योग - | | 471543.07 | 475577.85 | 123766.00 | 26.25 | 89818.00 | 37.80 |

नोट - सी0टी0एम0आई0एस0 साफ्टवेयर के अनुसार ।